

- (१) श्री सेवकराम रीजनल श्री गंगानगर, अलवर और  
सेटलमेंट ऑफिसर, भरतपुर जिलों को छोड़ते हुये  
राजस्थान जयपुर। राजस्थान के एडीशनल डिप्टी  
कस्टोडियन ताराख १-१०-५४  
से।
- (२) श्री मोहनलाल अग्रवाल, श्री गंगानगर, जिले के एग्जि-  
सेटिव सेटलमेंट ऑफिसर, स्टेट कस्टोडियन ता० १-१-५५  
श्री गंगानगर। से।
- (३) श्री बाबूप्रसाव माथुर, अलवर और भरतपुर  
एग्जिसेटिव सेटलमेंट जिलों के लिये एग्जिसेटिव कस्टो-  
ऑफिसर, अलवर। डिप्टी। ता० १५-९-५४ से।

## ENGLISH TRANSLATION

(Authorized by His Highness the Rajpramukh)

## NOTIFICATION

Jaipur, January 19, 1955.

No. F. 33 (125) RR./54.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (Act XXXI of 1950) the Government of Rajasthan is pleased, in consultation with the Custodian General, to appoint the following Officers as Ex-officio Additional Deputy Custodian and Assistant Custodians respectively, in respect of evacuee agricultural lands with effect from the date and for the area noted against each:—

- (1) Shri Shewak Ram Regional Settlement Officer, Rajasthan, Jaipur. Additional Deputy Custodian for Rajasthan excluding the Districts of Sri Ganganagar, Alwar and Bharatpur, with effect from 1-10-54.
- (2) Shri Mohan Lal Agarwal, Settlement Officer, Sri Ganganagar. Assistant Custodian for Sri Ganganagar District with effect from 1-1-55.
- (3) Shri Babu Prasad Mathur, Assistant Settlement Officer, Alwar. Assistant Custodian for the Districts of Alwar and Bharatpur with effect from 15-9-54.

By Order of  
His Highness the Rajpramukh,  
B. S. RANAWAT,  
Secretary to the Government.

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT  
ORDERS.

Jaipur, January, 22 1955. :

Sub:—Publication of notices in the Gazette for change of name/surname in the Gazette.

No. F.19 (36)G.A./A/52.—Government have been pleased to order that notices regarding change of name/surname may be published in the Gazette as private advertisements on payment of charges.

KISHEN PURI,  
Chief Secretary to the Government.

Jaipur, January 24, 1955.

No. F. 2 (67) G.A./A/54.—His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that the name of 'Herbert College, Kotah' shall be changed to 'Government College, Kotah' with effect from the date of publication of this order in the Gazette.

SHIV SHANKAR,  
For Chief Secretary to the Government.

FINANCE DEPARTMENT (II)  
ORDERS

Jaipur, January 1, 1955.

No. F. 14 (14)-F. II/54.—His Highness the Rajpramukh has been pleased to order that the following amendments be made in the Rajasthan Travelling Allowance Rules:—

1. Rule 26 Part I 'For Journeys by rail'.  
Add the following as Note 3 below rule 26 Part I (iii):—

for a full wagon when they actually utilise a full wagon for carrying personal effects by rail."

II. Rule 26 Part II 'For Journeys by road'.

Substitute the words "two road mileage allowances" for "one road mileage allowance" occurring in line 2 of sub-para (iii).

III. Rule 3:—

Add the following as Note 2 below this rule, numbering the existing Note as Note 1.

"Note 2.—A journey on transfer begins and ends at the actual residence of the Government servant concerned.

By Order,  
G. S. PUROHIT,  
Secretary to the Government.

Jaipur, January 11, 1955.

Sub:—Rajasthan Civil Services (Unification of Pay Scales) Rules.

No. F. 11(54)-F. II/54.—His Highness the Rajpramukh has been pleased to make the following amendment to the Schedule to the Rajasthan Civil Services (Unification of Pay Scales) Rules.

Substitute the following:—

Item 11 Superintendents:—

(a) Secretariat Rs. 225-10-275-EB-15-350.

(b) Other

Officers (1) Rs. 175-10-225-EB-15-350

क्रमांक: ज्याम/गुप-1/09/ 925/10990

दिनांक: 4/6/2008

विषय:- शपथ पत्रों के संबंध में।

में आपका ध्यान भारतीय संसद द्वारा पारित नोटेरी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों की ओर आकर्षित करते हुए जानकारी में लाना चाहूंगा कि कई विभागों व संस्थाओं द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के क्रम में नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर उसे मान्यता नहीं देकर मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराने के लिए कहते हैं। जिसके परिणामस्वरूप जन साधारण/जन शपथ पत्र तस्दीक कराने हेतु जिला कलक्टर कार्यालय एवं अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट कार्यालयों में बड़ी संख्या में जपरिषत हो रहे हैं। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने पर जन साधारण को उनका इन्तजार करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-8 में नोटेरी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण दिया गया है, इसमें धारा-8(1)(ड) में निम्नानुसार अंकन है:-

(e)- administer oath to, or take affidavit from, any person;

उक्त प्रावधान में यह स्पष्ट है कि शपथ पत्र तस्दीक करने की शक्तियाँ संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा नोटेरी को दी हुई हैं तथा नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्रों को विभिन्न न्यायालयों व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्यता दी जाती है। ऐसी स्थिति में, नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र को अमान्य करके मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराने के लिये कहना उचित नहीं है। इससे जन साधारण को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटेरी द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र को तब तक अमान्य करने का कोई कारण नहीं है, जब तक किसी कानून द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा तस्दीकशुदा शपथ पत्र की मान्यता नहीं रखी गई हो।

अतः उचित यही होगा कि आप अपने से संबंधित प्रकरणों में जब तक किसी कानून के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के तस्दीकशुदा शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं हो, तब तक नोटेरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र को मान्यता देते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट से तस्दीक कराने के लिये जन साधारण को त्रास नहीं करें।

(32)

( कुलदीप राव )

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जयपुर

क्रमांक: ज्याम/गुप-1/09/ 925/10990

दिनांक: 4/6/2008

प्रतिलिपि - समानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

- 1- सनस्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-----, जिला जयपुर।
- 2- सनस्त उपखण्ड अधिकारी-----, जिला जयपुर।
- 3- सनस्त सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट-----, जिला जयपुर।
- 4- सनस्त तहसीलदार, -----, जिला जयपुर।
- 5- जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर।
- 6- अग्राध/साधिव, जिला वार एसोसियेशन, कलक्टर, जयपुर।

(32)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
जयपुर